



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.10.2026

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा पशु चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 11.10.2026 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा मेरा पशु (कटरा) खेत पर बुगी से बंधा हुआ था जिसे चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई ।

तत्पश्चात आज दिनांक 13.10.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त पशु चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.करन पुत्र योगेन्द्र 2. शिवांक पुत्र अरुण निवासीगण ग्राम अतलपुर थाना किठोर जनपद मेरठ को थाना क्षेत्र निवाड़ी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी गया पशु (कटरा) बरामद हुआ है । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह पशु (कटरा) हमने ग्राम पतला के एक खेत में बुगी से बंधा हुआ देख तथा मौका पाकर चोरी कर लिया था जिसे हम बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

- 1.करन पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम अतलपुर थाना किठोर जनपद मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष
2. शिवांक पुत्र अरुण निवासी ग्राम अतलपुर थाना किठोर जनपद मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री का घर से बिना बताये कहीं चले जाना व वापस न आना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137 (2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2) /115(2)/351(3)बीएनएस व 3 /4 (2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त ललित उर्फ गोपाल पुत्र मथुराप्रसाद का नाम प्रकाश में आया ।

आज दिनांक 13.10.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ललित उर्फ गोपाल पुत्र मथुराप्रसाद निवासी इन्द्रापुरी लोनी बॉर्डर, पूर्व पता ग्राम मौर्या थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 23 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी की पुत्री से मेरी फोन पर बातचीत थी। मैं उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ललित उर्फ गोपाल पुत्र मथुराप्रसाद निवासी इन्द्रापुरी लोनी बॉर्डर, पूर्व पता ग्राम मौर्या थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे / निशांदेही से चोरी की 12 दो पहिया वाहन (11 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी) व 02 चार पहिया वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12/13.10.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया व चार पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त राकेश उर्फ प्रवीन यादव पुत्र भोजपाल उर्फ संजय यादव निवासी चोटपुर छिजारसी सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम जैतीपुर कुलवा भोज थाना जैतीपुर जिला शहजहापुर उत्तर प्रदेश उम्र करीब 47 वर्ष को शिप्रा मॉल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे / निशानदेही पर 12 दो पहिया वाहन (11 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी) व 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ प्रवीन यादव के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5), 345(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ प्रवीन यादव से पूछताछ करने पर बताया कि मैं नोएडा में गाड़ी चलाने का काम करता हूँ, मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाते जिससे मैं अपने शौक व परिवार का खर्चा पूरा कर सकूँ, जिस कारण मैं दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन की चोरी करता हूँ। अभियुक्त ने बताया कि मुझसे बरामद वैगनार गाड़ी चोरी की है जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ऐसे स्थानों पर जाता हूँ जहाँ मोटर साइकिल, स्कूटी, कार जो मकान, संस्थान के बाहर खड़ी रहती हैं। अपनी चोरी की कार को मैं सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर देता हूँ और वहां से मोटरसाइकिल आदि को चुराकर ले जाता हूँ और चुराये हुए वाहनों को ऐसे स्थानों पर छिपा देता हूँ, जहाँ से मैं चोरी के वाहन को सस्ते दामों में चलते फिरते जरूरतमंद लोगो को वाहन की नम्बर प्लेट बदलकर बेच देता हूँ तथा बाद में आकर अपनी कार ले जाता हूँ। इस प्रकार अलग-अलग स्थानों पर चोरी की घटना कारित करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राकेश उर्फ प्रवीन यादव पुत्र भोजपाल उर्फ संजय यादव निवासी चोटपुर छिजारसी सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम जैतीपुर कुलवा भोज थाना जैतीपुर जिला शहाँजहापुर उत्तर प्रदेश उम्र करीब 47 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

1. स्कूटी एक्टिवा 4 जी रंग ग्रे रजि0 न0 DL6SAW8781- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
2. हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल रंग ब्लैक सिल्वर (फर्जी नम्बर प्लेट)- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
3. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 न0 UP14GA1457- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
4. मो0सा0 पैसन प्रो रंग काला व लाल रजि न0 UP14DF3196- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
5. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि न0 UP16EC6970 – सै0 34 नोएडा से चोरी
6. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि न0 DL13SR5829- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
7. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला व नीला रजि0 न0 UP14BP0150 –थाना कौशाम्बी से चोरी
8. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि नं UP16EX5198-थाना गाजीपुर दिल्ली से चोरी
9. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला (फर्जी नम्बर प्लेट)- थाना इन्दिरापुरम से चोरी
10. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0न0 DL14SP2507- जानकारी की जा रही है
11. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0न0 UP14FY7045 - जानकारी की जा रही है
12. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला नीला रजि0 न0 अंकित नहीं है- जानकारी की जा रही है
13. एक कार मारुति ईको रंग सिल्की सिल्वर रजि0 DL2CAP6403-थाना बुराडी दिल्ली से चोरी
14. एक मारुति सुजुकि वैगन आर वीएक्सआई कलर मैगमा ग्रे (फर्जी न0 प्लेट)-थाना पांडव नगर दिल्ली से चोरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ प्रवीन यादव के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग,थाना क्राँसिंग रिपब्लिक पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्लास्टिक के 07 कट्टे व 21 गत्तों के कार्टूनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.10.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त 1. राजू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी म0नं0- 297, गली नं0- 06, सी सेकेंड, दीनदयालपुरी आश्रम रोड, थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष, 2. देव पुत्र महेन्द्र सिंह निवसी म0नं0- 297, गली नं0- 06, सी सेकेंड, दीनदयालपुरी आश्रम रोड, थाना नन्दग्राम

जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को नागद्वार चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 07 कट्टे व 21 गत्तों के कार्टूनों में भिन्न-भिन्न प्रकार मे मिश्रित अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुये । उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत धारा 9 बी(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हमसे बरामद उक्त आतिशबाजी पटाखों को दिल्ली व हापुड से सस्ते दामों में खरीदकर लाया था । जिनको उचित दामों में बेचने की फिराक में नागद्वार चौराहे के आस-पास घूम रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. राजू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी म0नं0- 297, गली नं0- 06, सी सेकेंड, दीनदयालपुरी आश्रम रोड, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. देव पुत्र महेन्द्र सिंह निवसी म0नं0- 297, गली नं0- 06, सी सेकेंड, दीनदयालपुरी आश्रम रोड, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से प्लास्टिक के 07 कट्टे व 21 गत्तों के कार्टूनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल HONDA LIVO रंग लाल रजि0नं0-DL3SCV6380 बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13.10.2026 को शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान बर्फ फैक्ट्री के सामने एक मोटरसाइकिल आर टी ओ की ओर से आती दिखायी दी जिस पर एक व्यक्ति सवार था । मोटरसाइकिल सवार उक्त व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो सवार व्यक्ति मोटर साइकिल मोडकर भागने लगा हडबडाहट में मोटर साइकिल बंद हो गयी और वह व्यक्ति मय मोटर साइकिल के गिर गया । अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र चन्द्रपाल गुप्ता निवासी विजय नगर खूर्जा बुलन्दशहर उम्र 40 वर्ष को बर्फ फैक्ट्री के सामने चौकी औद्योगिक क्षेत्र कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यह मोटरसाईकिल मैने दिल्ली से चोरी की है। आज मैं इस मोटरसाईकिल को बैचने के लिये जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

बरामदगी :-

- 01 मोटरसाईकिल HONDA LIVO रंग लाल रजि0नं0-DL3SCV6380

अभियुक्त का नाम पता-

1. रवि गुप्ता पुत्र चन्द्रपाल गुप्ता निवासी विजय नगर खूर्जा बुलन्दशहर उम्र 40 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- अभियुक्त के खिलाफ कमि0 गाजियाबाद में चोरी के 13 मुकदमें, गैंगेस्टर का एक मुकदमा
- जनपद मेरठ में चोरी के 1 मुकदमा, आर्मस एक्ट का 1 मुकदमा, गैंगेस्टर का एक मुकदमा
- कमि0 गौतमबुद्ध नगर में चोरी के 2 मुकदमें

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

स्वाट टीम / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन, औषधि विभाग टीम व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध नशीली wiscorex कोडीन कफ सिरप की बिक्री करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गोदाम से नशीली wiscorex कोडीन युक्त सिरप की 310 अवैध पैटी (कुल 49,600) बोलत बरामद, जिसकी अनुमानित कीमत 85,80,800/- रुपये।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12/13.10.2026 की रात्रि को स्वाट टीम / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन, औषधि विभाग टीम व थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अवैध नशीली wiscorex कोडीन युक्त सिरप की बिक्री करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. वीरेन्द्र पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी सी-28 एस-1 श्याम एन्क्लेव थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष, 2. शिव शंकर कुमार पुत्र अनुग्रह सिंह हाल निवासी द्वारिका मोड विपिन गार्डन थाना द्वारिका नई दिल्ली मूल पता ग्राम गडुआ थाना वारिसलीगंज जिला बांदा विहार उम्र करीब 29 वर्ष, 3. राजेश कुमार तिवारी पुत्र योगेन्द्र तिवारी हाल निवासी गली नं0-2 विजय कॉलोनी शहीद नगर थाना साहिबाबाद मूल पता ग्राम न्यू कॉलोनी भूतगढिया थाना झरिया जिला धनबाद झारखण्ड उम्र करीब 35 वर्ष को शनि मन्दिर वाली गली कसाना क्रेन कम्पाउण्ड यूपी बॉर्डर चौकी क्षेत्र सीमा से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से गोदाम में रखे नशीली wiscorex कोडीन युक्त सिरप की अवैध 310 पैटी, कुल 49,600 बोलत बरामद (अनुमानित कीमत 85,80,00/- रुपये) गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 3(5) बीएनएस, धारा 8, 22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कफ सिरप को जैवरन हेल्थ केयर कम्पनी दिल्ली के मालिक पुरोहित गुप्ता उर्फ भोला की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ पर बताया कि उक्त सिरप निर्माता कम्पनी 3 बी हेल्थ केयर लिमिटेड पोण्टा साहिब हिमाचल प्रदेश से जैवरन हेल्थ केयर साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारा ट्रांसपोर्ट के

माध्यम से मगाया गया था। लेकिन कोडीन युक्त कफ सिरप जैवरन हेल्थ केयर दिल्ली न ले जा कर सध्यां ट्रांसपोर्ट कम्पनी कसाना क्रेन कम्पाउण्ड यूपी बॉर्डर थाना साहिबाबाद मे अवैध रूप से भण्डारण कर रखा गया हम लोग महीने मे 03-04 बार उक्त कोडीन युक्त कफ सिरप को अन्य सामान के साथ छिपाकर बिना मारका के कार्टूनो मे भरकर बिहार भेजते है, जिससे हमे ज्यादा कमाई होती है। इन कफ सिरप को जैवरन हेल्थ केयर कम्पनी दिल्ली के मालिक पुरोहित गुप्ता उर्फ भोला के द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध व्यापार हम लोगो के साथ मिलकर किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. वीरेन्द्र पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी सी-28 एस-1 श्याम एन्क्लेव थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।
2. शिव शंकर कुमार पुत्र अनुग्रह सिंह हाल निवासी द्वारिका मोड विपिन गार्डन थाना द्वारिका नई दिल्ली मूल पता ग्राम गडुआ थाना वारिसलीगंज जिला बांदा विहार उम्र करीब 29 वर्ष।
3. राजेश कुमार तिवारी पुत्र योगेन्द्र तिवारी हाल निवासी गली नं0-2 विजय कॉलोनी शहीद नगर थाना साहिबाबाद मूल पता ग्राम न्यू कॉलोनी भूतगढिया थाना झरिया जिला धनबाद झारखण्ड उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से गोदाम से नशीली wiscorex कोडीन युक्त सिरप की 310 अबैध पैटी (कुल 49,600) बोतल बरामद, जिसकी अनुमानित कीमत 85,80,800 /- रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वाट टीम / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन, औषधि विभाग टीम व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण – ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांक 12.10.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चोकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध गांजा की बिक्री करने वाला अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी म0नं0 110 सै0 9 शिवपुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को पुस्ता रोड पर हिंडन तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त आकाश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, अपने शौक पूरा करने के लिये गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राहे चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देता हूँ। मुझसे बरामद 01 किलो 150 ग्राम गांजा को दिल्ली से खरीद कर लाया था। जिसे बेचने की फिराक में पुस्ता रोड पर हिंडन तिराहे के आस-पास बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश कुमार पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी म0नं0 110 सैक्टर 9 शिवपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद व उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर गांजा बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।